भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3785
दिनांक 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अन्वेषकों हेतु क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

3785. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने वाले अन्वेषकों और अभियोजकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रावधान के अंतर्गत अब तक कितने अन्वेषकों और अभियोजकों को प्रशिक्षित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रशिक्षित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पहल की जाती हैं। तथापि, भारत सरकार एक सतत प्रक्रिया के रूप में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इन प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। इस संदर्भ में, अब तक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) तथा एल.एन.जे.एन. राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (अब राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर) द्वारा 'महिला सुरक्षा' की व्यापक योजना के अंतर्गत कुल 35,306 जांच अधिकारी, अभियोजक एवं चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

******